प्रकरण सं0

श्री.. बनाम श्री..

....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
8/10/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09, नियम 09 एवं 151 जा.दी पुनः नम्बर पर लिए जाने सम्बधित मूल प्रार्थना पत्र बाबत प्रस्तुत किया है। राजस्व मूल प्रार्थनापत्र संख्या 54/23 को दिनांक 06.06.2024 को अदालत द्वारा प्रार्थीया की अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर निर्णित किया गया था। जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने की वांछना लेकर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतशुदा प्रार्थनापत्र पर गत सुनवाई को वकुलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस सुनी गई। बहस के दौराने प्रार्थीया के नियुक्त विद्वान अभिभाषक द्वारा स्वयं के प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय श्रीमान के समक्ष सुनवाई दिनांक 06.06.2024 को पंजीबद्ध मूल राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 54/2023 में पैरवी के वक्त अदालत में उपस्थित नही हो सका, क्यों कि भीषण गर्मी के चलते मुझ अधिवक्ता की तबीयत बिगड गई थी, और प्रार्थीया स्वयं को मुझ अधिवक्ता ने पैशी पर बुलाया नही था। न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया पक्ष के उपस्थित नही हो पाने का कारण मजबूरी युक्त रहा है। प्रार्थनापत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित एंव आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीया को अपूर्तणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन किया जाना सम्भव नही होगा। अतः प्रार्थीया पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा.दी. को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र संख्या 54/2023 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश कराना फरमावें। अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थीया पक्ष द्वारा कथित तर्को/दलीलों का खण्डन करते हुए, निवेदन किया कि प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थनापत्र प्रारूपण व प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से अधूरा व अपूर्ण है। प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा अस्वस्थ होने कथन किया गया है लेकिन अधिवक्ता द्वारा प्रमाण स्वरूप चिकित्सा प्रमाणपत्र हमराह पेश नही किया गया है। जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके। प्रार्थी/श्री जगदीश चन्द्र दाधीच निर्णितशुदा मूल राजस्व प्रार्थनापत्र में बतौर अधिवक्ता नियुक्त थे, उस प्रार्थनापत्र को अदालत द्वारा खारिज कर देने से प्लीडर की नियुक्ति भी उसी वक्त पर्यवसित/समाप्त हो चुकी थी। जब यदि इस मौजूदा प्रार्थनापत्र का प्रस्तुत किया जाना था, उस दशा में प्रार्थीया स्वयं के भी हस्ताक्षर प्रार्थनापत्र में अपेक्षित है जो कि नदारद है। प्रार्थी/श्री जगदीश चन्द्र दाधीच अधिवक्ता द्वारा स्वयं के स्तर पर इस प्रार्थनापत्र का प्रस्तुत किया जाना,	

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

प्रार्थी/अधिवक्ता के अधिकारों में निहित नही है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थनापत्र प्रारूपण व प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से अधूरा व अपूर्ण है। अतः प्रार्थनापत्र को सव्यय अस्वीकार फरमाया जावें।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों के प्रस्तुत तर्को पर चिंतन किया एंव पत्रावली व पत्रावली पर प्रस्तुत किए गये प्रार्थनापत्र/जवाब तथा समर्थन में प्रस्तुत कराये गये दस्तावेजात का बारीकी से अध्ययन एंव विश्लेषण किया गया।

राजस्व मूल प्रार्थनापत्र संख्या 54/23 को दिनांक 06.06.2024 को अदालत द्वारा प्रार्थी/वादीया की अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर निर्णित किया गया था। जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने की वांछना लेकर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जो कि मूल राजस्व प्रार्थनापत्र में नियुक्त अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र दाधीच द्वारा पैश किया गया है। जबकि प्रार्थनापत्र के प्रस्तुत किए जाने में सूचित–सहमति स्वरूप प्रार्थीया स्वयं के भी हस्ताक्षर प्रार्थनापत्र में कराये जाने कानूनन आवश्यक है। दूसरी ओर प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा अस्वस्थ होने कथन किया गया है लेकिन क्या अधिवक्ता द्वारा प्रमाण में चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र अथवा ऐसा कोई दस्तावेज/सबूत हमराह पैश किया गया है जिससे उनके इस तथ्य की वास्तविकता प्रमाणित हो सके ? नही। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के दिये अस्वस्थ वाले तर्क में संदेह का आभास होता है एवं हेतुक के तौर पर अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अवगत कराये गये कारण वाजिब, माकूल एंव मजबूरी युक्त नही बल्कि काल्पनिक और भ्रामक प्रतीत होते है। प्रार्थनापत्र पर सूचित–सहमति स्वरूप प्रार्थीया स्वयं के हस्ताक्षर नही कराया जाना सवाल उत्पन्न करता है।

इस प्रार्थनापत्र के अवलोकन से एक बात तो पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रार्थनापत्र प्रारूपण व प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से अधूरा और दोषयुक्त पेश किया गया है। प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र बिना कोई ठोस हेतुक के, प्रस्तुत किया जिसको सिद्ध करने में प्रार्थी निश्चित रूप से असफल हुए है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा.दी. को पोषणीय नही होने से अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner